संख्या– /XXVIII(1)/2017-Writ-18/2017

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 15 मई, 2017

विषयः– रिट याचिका सं0–814(एम0एस0)2017 डॉ0 सुरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि डॉ0 सुरेश कुमार, चिकित्साधिकारी अति0प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ज्यूसूडा, ब्लाक–औखलकांडा, जिला नैनीताल का पत्र दिनांक 12.05.2017, जो शासन में आज दिनांक 15.05.2017 को प्राप्त हुआ है, के माध्यम से उपर्युक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 12.05.2017 की सत्यापित प्रति मूल में उपलब्ध कराते हुए प्रथम चरण की काउंसिलिंग को निरस्त कर प्रार्थी/याची को MCI के Regulation 9(2)(डी) का लाभ देते हुए पुनः योग्यता सूची (Merit List) बनाकर काउंसिलिंग कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त संबंध में अवगत कराना है कि उपर्युक्त रिट याचिका में पारित मा0 न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 12.05.2017 के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

> Considering the submission advanced by the learned counsel for the parties, I dispose of the writ petition by directing the first respondent to consider the matter of the petitioner taking into account the period of service petitioner has rendered, after he joined pursuant to the joining letter given on 25.03.2015, and consider his eligibility for the marks in terms of the proviso, which has already been adverted to. A decision in this regard will be taken as early as possible and at any rate within a period of 24 hours form today and the same will be immediately communicated to the fourth respondent, who will take action as per law, inasmuch as, it is informed that the second round of counseling is to take place from 13.05.2017 to 17.05.2017.

3– मा0 न्यायालय के उक्त निर्णयादेश के अनुपालन के क्रम में प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि उपर्युक्त रिट याचिका में याची यद्यपि दिनांक 25.03.2015 से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के नियमित चिकित्साधिकारी हैं, तथापि याची राज्य के दूरस्थ/दुर्गम क्षेत्रों में की गयी प्रत्येक वर्ष की सेवा के आधार पर नीट पी0जी0, 2017 के माध्यम से पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत अधिमानी अंक प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि नीट पी0जी0, 2017 केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग की विवरण पुस्तिका के प्रस्तर–5.4 में 10 प्रतिशत अधिमानी अंक प्रदान किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

4– यहां यह स्पष्ट किया जाना है कि भारत के राजपत्र भाग–III खण्ड–4 दिनांक 27.02.2012 में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या–MCI-18(1)/2010-MED/62052 दिनांक 15.02.2012 के प्राविधान राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

5— उक्त संबंध में स्पष्ट करना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील सं0—8047/2016 उत्तर प्रदेश और अन्य बनाम दिनेश सिंह चौहान में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णयादेश दिनांक 16.08.2016 के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सेवाधीन चिकित्सकों हेतु किसी भी प्रकार के सीटों के आरक्षण को असंवैधानिक करार किया गया है।

7— यह भी स्पष्ट किया जाना है कि अखिल भारतीय स्तर की प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग तथा राज्य स्तर की प्रथम चरण की काउंसिलिंग पूर्ण हो चुकी है और द्वितीय चरण की काउंसिलिंग दिनांक 13.05.2017 से 17.05.2017 के मध्य संपन्न होनी है। अवगत कराना है कि उपरोक्त चरणों की काउंसिलिंग के माध्यम से अर्ह अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन भी किया जा चुका है। यहां यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पी0जी0 पाठ्यक्रम हेतु काउंसिलिंग के संबंध में समय सारणी नियत करते हुए नियत समय सारणी के अनुसार ही काउंसिलिंग संपन्न कराये जाने के दिशा—निर्देश दिये गये हैं और काउंसिलिंग की इस मध्यावधि में पी0जी0 पाठ्यक्रम की सीटों के आवंटन के संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया दुष्प्रभावित होगी। साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग हेतु प्रदत्त समय सारणी का भी उल्लंघन होगा। उक्त के अतिरिक्त पी0जी0 पाठ्यक्रम की सीटों के आवंटन में उपरोक्तानुसार कोई परिवर्तन किये जाने मा0 न्यायालयों के समक्ष विभिन्न वाद योजित किये जाने की संभावना भी बनी रहेगी, जिससे विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

8— अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उक्त सन्दर्भित रिट याचिका सं0—814(एम0एस0)2017 डॉ0 सुरेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य और अन्य के संबंध में पारित मा0 न्यायालय के निर्णयादेश दिनांक 12.05.2017 के अनुपालन के क्रम में याची को 10 प्रतिशत अधिमानी अंक (Weitage) प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या— 589 /XXVIII(1)/2017-Writ-18/2017 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उपर्युक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 12.05.2017 के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. कुलपति/अध्यक्ष, NEET PG 2017 काउंसिलिंग बोर्ड, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड ।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, निदेशालय, देहरादून।
7. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी/श्रीनगर गढ़वाल।
8. समस्त अभ्यर्थीगण/याचीगण द्वारा कुलपति, हे0न0ब0 चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।